PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

REAR ELEVATION

LEFT ELEVATION

FRONT ELEVATION

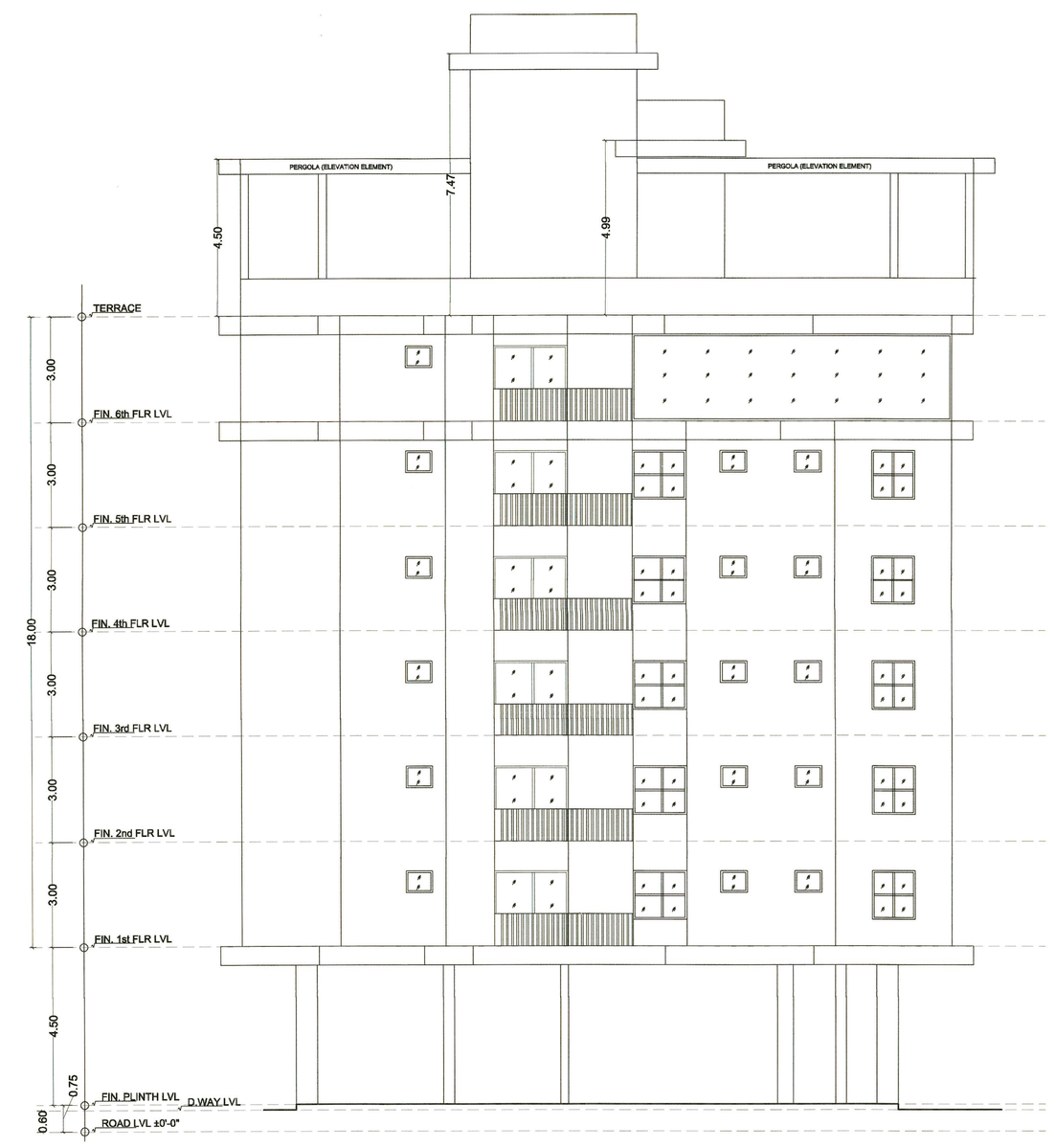

RIGHT ELEVATION

अनुमोदित

900 वर्गमीटर से बड़े आवासीय/संस्थागत भूखण्डों में भौंडे पर भवन निर्माण की प्रति अब जमा के साथ प्रस्तुत सहायक मानचित्र की प्रस्तुतीकरण (Presentation) Display की जायेगी। भवन के मानचित्रों से संबंधित भवन मानचित्र पंजियन सिस्टम सरलतर पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रत्येक भवन के लिये एक वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।

इन मानचित्रों का अनुपालन किसी भी प्रकार्यात भूमि/भवन के प्रति अधिकार, दायित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही किसी भी प्रकार के अधिकार को प्रदान करेगा। मानचित्रों में प्रदर्शित संरचना की सरलता की जिम्मेदारी मानचित्रों के अनुरूप भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दायित्व संरचनात्मक मानचित्रों के अनुरूप होगा।

मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम में दिये गये निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सुगमनिवासता की व्यवस्था अनिवार्य होगी अन्यथा भवन निर्माता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

कलम 5 पर निहित प्रिंसिपल रिपोर्ट/प्लान एवं प्रोफेशनल इन्जिनियर एवं आर्किटेक्ट/नियमन करने में भवन स्वामी से अपने एवं नक्शा के अनुसार भवन का निर्माण करवाने हेतु आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की जाती है। भवन के मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। भवन के निर्माण के समय आवश्यक सहयोग करना अनिवार्य होगा।

SHEET NO. - 4/5

TITLE:-

ELEVATIONS

ELEVATIONS

NORTH :

SCALE : 1= 100

DATE : 25-09-23

PROJECT:-

PROPOSED APARTMENT
AT KHASRA NO. - 340/1, BINDAYAKA,
JAIPUR.

SIGN :
ARCHITECT

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/65196
CTP RAJ./Architects/2021/32

SIGN :
OWNER

PREVIEW BUILDTECH PVT. LTD.
Director

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT